पंचदश बिहार विधान सभा

सप्तम् सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या-4 मंगलवार, दिनांक-04 दिसम्बर, 2012 ई० ।

मानानीय अध्यक्ष, श्री उदय नारायण चौधरी की अध्यक्षता में सभा की बैठक प्रारंभ हुई ।

समय : 11.00 बजे पूर्वाह्न से 11.40 बजे पूर्वा० तक ।

[1] प्रश्नोत्तर काल :-

(i) 01 अल्पसूचित प्रश्न उत्तरित ।

(ii) 02 अल्पसूचित प्रश्न अनागत ।

(iii) 04 तारांकित प्रश्न उत्तरित ।

(iv) 01 तारांकित प्रश्न अपृष्ठ ।

(v) 82 तारांकित प्रश्न अनागत ।

प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्ष के सभी माननीय सदस्यगण मनरेगा में व्याप्त अनियमितता की जाँच सी०बी०आई० से कराने की मांग करने लगे तथा अपनी मांग को लेकर नारेबाजी करते हुए वेल में आ गए । आसन द्वारा अनेकों बार उनसे शांत होने और अपनी सीट पर जाने का अनुरोध किया गया, लेकिन सदन में शांति कायम नहीं हो सकी और सदन की बैठक 12.30 बजे अप० तक के लिए स्थगित हुई ।

(स्थगनोपरांत)

समय 12.30 बजे अप० से 12.50 बजे अप० तक ।

[2] कार्यस्थगन :-

माननीय सदस्य श्री दुर्गा प्रसाद सिंह एवं अन्य दो माननीय सदस्य से प्राप्त प्रथम तथा माननीय सदस्य श्री भाई वीरेन्द्र एवं अन्य एक माननीय सदस्य से प्राप्त दूसरा कार्यस्थगन सूचना को आज वित्तीय कार्य रहने के कारण नियम 176(3) के तहत् अमान्य किए जाने की घोषणा आसन द्वारा की गई ।

[3] **शून्यकाल :-**

शून्यकाल की सूचनान्तर्गत निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा राज्य की विभिन्न समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया :-

(i) श्री संजय सिंह 'टाइगर'
(ii) श्री रामनरेश प्रसाद यादव
(iii) श्री राजकुमार राय
(iv) श्री कुमार शैलेन्द्र
(v) श्री अरूण शंकर प्रसाद
(vi) श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह
(vii) श्री शचीन्द्र प्रसाद सिंह
(viii) श्री विजय कुमार सिन्हा
(ix) श्री राजेश्वर राज
(x) श्री प्रदीप कुमार
(xi) श्री विनोद प्रसाद यादव
(xii) श्री जनक सिंह
(xiii) श्री कृष्णनन्दन यादव
(xiv) श्री रामचन्द्र सदा
(xv) डॉ० दाउद अली
(xvi) श्रीमती ज्योति देवी

[4] **ध्यानाकर्षण सूचनाएँ :-**

(i) माननीय सदस्य श्री ललन राम एवं अन्य सभासदों की गृह (आरक्षी) विभाग से संबंधित दिनांक 30.11.2012 से स्थगित ध्यानाकर्षण सूचना का उत्तर दिनांक 05.12.2012 तक के लिए स्थगित हुआ ।

(ii) माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव एवं अन्य सभासदों की खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना अपृष्ट हुआ ।

(iii) माननीय सदस्य डॉ० दाउद अली एवं श्री गजानन्द शाही की जल संसाधन विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य डॉ० दाउद अली द्वारा पढ़ी गई तथा माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा इसका उत्तर दिया गया ।

[5] **सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :-**

(i) माननीय मंत्री, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा बिहार मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष और सदस्य (वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2009 की एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया ।

(ii) माननीय मंत्री, श्री नंद किशोर यादव द्वारा बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना का वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09 एवं 2009-10 का वार्षिक लेखा प्रतिवेदन की एक-एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया ।

(iii) माननीय मंत्री, श्री नंद किशोर यादव द्वारा बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के वर्ष 2001-02 से वर्ष 2009-10 का वार्षिक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति को सदन पटल पर रखा गया ।

(iv) माननीय मंत्री, श्री भीम सिंह द्वारा पंचायती राज विभाग से संबंधित बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 146(2) के तहत् बिहार पंचायत (उप विधि एवं विनियम-निर्माण प्रक्रिया) नियमावली, 2012 एवं ग्राम सभा (बैठक के संयोजन एवं संचालन की प्रक्रिया) नियमावली, 2012 की एक-एक प्रति को सदन पटल पर रखा गया ।

(v) माननीय मंत्री, श्री भीम सिंह द्वारा पंचायती राज संस्थाएँ, बिहार सरकार से संबंधित स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार का 31 मार्च, 2009 एवं 2010 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति को सभा पटल पर रखा गया ।

(vi) माननीय मंत्री, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 की धारा-5(1) के अधीन निर्गत 28 (अठाईस) अधिघोषणा की प्रति को धारा 25 के अन्तर्गत सदन पटल पर रखा गया ।

इस कार्यवाही के दौरान विपक्ष के माननीय सदस्यगण मनरेगा में व्याप्त अनियमितता की जाँच सी०बी०आई० से कराने की मांग को लेकर वेल में आ गए तथा नारेबाजी करते रहे । आसन द्वारा बार-बार उनसे अनुरोध किया गया कि वे अपने आसन पर जायें परन्तु विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में नारेबाजी करते रहे । सदन में शांति कायम नहीं हो सकी तथा सदन की बैठक 2.00 बजे अप० तक के लिए स्थगित हुई ।

(भोजनावकाश के बाद)

02.00 बजे अप० से 02.20 बजे अप० तक ।

[6] कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन :-

माननीय सदस्य श्री सदानन्द सिंह द्वारा दिनांक 04.04.2012 को सम्पन्न कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन को प्रस्तुत किया गया जिसपर सदन की सर्वसम्मति से सहमति हुई ।

[7] वित्तीय कार्य - वित्तीय वर्ष 2012-13 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित अनुदानों की मांग पर वाद-विवाद तथा मतदान :-

माननीय प्रभारी मंत्री, उर्जा विभाग श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा वर्ष 2012-13 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित अनुदानों की मांग में से उर्जा विभाग से संबंधित अनुदान की मांग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

माननीय सदस्य श्री सदानन्द सिंह द्वारा अनुदान की मांग के प्रस्ताव पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया । अनुदान की मांग एवं कटौती प्रस्ताव पर वाद-विवाद में निम्नांकित माननीय सदस्यों ने भाग लिया :-

(i) श्री विनोद प्रसाद यादव

इस दरम्यान विपक्ष के माननीय सदस्यगण मनरेगा में व्याप्त अनियमितता पर सी०बी०आई० से जाँच की मांग करते हुए वेल में आ गए और नारेबाजी करने लगे । आसन द्वारा बार-बार उनसे शांत होने और अपने सीट पर जाने का अनुरोध किया जाता रहा । लेकिन सदन में शांति कायम नहीं हो सकी और सभा की बैठक 4.30 बजे अप० तक के लिए स्थगित हुई ।

(स्थगनोपरांत)

समय 4.30 बजे अप० से 5.58 बजे अप० तक

[8] वित्तीय कार्य :-

वित्तीय वर्ष 2012-13 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित अनुदानों की मांग पर वाद-विवाद का सरकार की ओर से माननीय प्रभारी मंत्री उर्जा विभाग श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा दिया गया ।

(माननीय अध्यक्ष महोदय के आसन ग्रहण करते ही विपक्ष के माननीय सदस्यगण मनरेगा में व्याप्त अनियमितता की जाँच सी०बी०आई० से कराने की मांग को लेकर अपनी सीट पर खड़े हो गए और नारेबाजी करने लगे । आसन द्वारा उनसे शांत होने और अपनी सीट पर बैठने का अनुरोध किया गया । लेकिन न तो वे शांत हुए और न ही अपनी सीट पर बैठे तथा कुछ समय बाद सदन से बहिर्गमन कर गए ।)

सदन द्वारा माननीय सदस्य श्री सदानन्द सिंह का कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा उर्जा विभाग का अनुदान की मांग का मूल प्रस्ताव ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ ।

इसके उपरांत वित्तीय वर्ष 2012-13 की द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित शेष अनुदान की मांगें बारी-बारी से मुखबंध (गिलोटिन) द्वारा स्वीकृत हुआ ।

[9] राजकीय (वित्तीय) विधेयक :- बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2012

माननीय प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा विधेयक सदन में सदन की सहमति से पुरःस्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

विचार के प्रस्ताव के स्वीकृति उपरांत खण्डश: विचार के क्रम में सभी खण्ड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया । विधेयक ध्वनिमत से सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

[10] <u>वित्तीय कार्य</u> :- <u>वित्तीय वर्ष 1978-79, 1979-80, 1980-81, 1981-82, 1982-83, 1985-86, 1987-88, 1988-89, 1992-93, 2008-2009 एवं 2009-2010 के अधिकाई व्यय विवरण में सम्मिलित मांगों पर वाद-विवाद तथा मतदान</u> :-

माननीय प्रभारी मंत्री, श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा अधिकाई व्यय विवरण में सम्मिलित मांगों को बारी-बारी से सदन में प्रस्तुत किया गया जो मुखबंध (गिलोटिन) द्वारा बारी-बारी से ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ ।

[11] <u>राजकीय (वित्तीय) विधेयक</u> :- <u>बिहार विनियोग (अधिकाई व्यय 1978-79, 1979-80, 1980-81, 1981-82, 1982-83, 1985-86, 1987-88, 1988-89, 1992-93, 2008-2009 एवं 2009-2010 विधेयक 2012</u> :-

माननीय प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग, श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

विचार के प्रस्ताव के स्वीकृति उपरांत खण्डशः विचार के क्रम में सभी खण्ड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया । विधेयक सदन द्वारा ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ ।

[12] <u>निवेदन</u> :-

माननीय अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि आज के लिए स्वीकृत कुल 38 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिए जाएगें ।

तदुपरांत सभा की बैठक बुधवार, दिनांक 05.12.2012 के 10.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित हुई ।

पटना
दिनांक-04.12.2012

लक्ष्मीकान्त झा
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।